OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL
SICKLE CELL INSTITUTE CHHATTISGARH, RAIPUR (ESTD. 2013)
(An Autonomous Institute of Govt. of Chhattisgarh), Reg.No. 4453

क्रमांक / 183 / SCIC / क्रय / 2022–23 रायपुर, दिनांक 06/ 05 / 2022

परिशिष्ट–2
नियम 4.4.2
/ / निविदा सूचना / /

कार्यालय महानिदेशक, सिकल सेल संस्थान छत्तीसगढ़, रायपुर की ओर से सिक्युरिटी गार्ड एवं हाउसकीपिंग (साफ–सफाई) कार्य हेतु मुहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र अधोहस्ताक्षकर्ता कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत कर (आयकर प्रमाण पत्र सहित) निविदा शुल्क रूपये 1000 / – (अक्षरी– एक हजार रूपये) महानिदेशक, सिकल सेल संस्थान छत्तीसगढ़, रायपुर के नाम से दये डी.डी जमा कर कार्यालय दिवस में प्राप्त किया जा सकता है।

निविदा प्रपत्र की विक्रय की तिथि	:	दिनांक 10.05.2022 से 10.06.2022 तक
निविदा जमा करने की अंतिम तिथि	:	दिनांक 10.06.2022 समय सायं 05:00 बजे तक
निविदा खोलने की तिथि	:	दिनांक 15.06.2022 समय अपरान्ह 02:00 बजे

(निविदा प्रपत्र संस्थान के वेबसाइट www.scic.cg.nic.in से भी प्राप्त किया जा सकता है।)

महानिदेशक
सिकल सेल संस्थान छत्तीसगढ़
रायपुर

पृ.क्रमांक / 184 / SCIC / क्रय / 2022–23 रायपुर, दिनांक 06/ 05 / 2022
प्रतिलिपि :–

1. महाप्रबंधक, छत्तीसगढ़ संवाद, अटल नगर, नवा रायपुर छ.ग की आरे प्रदेश स्तरीय बहुप्रचारित 02 एवं राष्ट्रीय स्तर के 01 समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु सम्प्रेषित है।
2. सहायक कम्प्यूटर प्रोग्रामर, सिकल सेल संस्थान छ.ग. की ओर निविदा प्रपत्र संस्थान के वेससाइट www.scic.cg.nic.in से अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

06/5/2022

महानिदेशक
सिकल सेल संस्थान छत्तीसगढ़
रायपुर

Contact: Sickle Cell Institute Chhattisgarh, Devendra Nagar Chowk, Railway Station Road, Raipur C.G.)
Phone & Fax-0771–2885505, website-www. http://scic.cg.nic.in, e-mail:office-scic@cg.gov.in, GSTN:22JBPS10082C1DH

हाउसकीपिंग (साफ–सफाई) एवं सिक्युरिटी गार्ड हेतु

निविदा/भावपत्र आमंत्रण

निविदा सूचना क्रमांक 183/SCIC/क्रय/2022 रायपुर दिनांक 06/05/2022

//निविदा प्रपत्र//

निविदा प्रपत्र शुल्क	रूपए 1000/–
निविदा प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि	दिनांक 10/06/2022 अपरान्ह 05 बजे
निविदा खोलने की तिथि	दिनांक 15/06/2022 अपरान्ह 02 बजे

सिकल सेल संस्थान छत्तीसगढ़, रायपुर

देवेन्द्र नगर चौक (ग्लोबल चौक), रेलवे स्टेशन रोड, रायपुर

फोन नं 0771–2885505, वेब साईट– www.scic.nic.in

ई–मेल scic.purchase@gmail.com

6.5.22 6-5-22 6/5/22

कार्यालय सिकल सेल संस्थान छत्तीसगढ़, रायपुर (छ.ग.)

हाउस कीपिंग (साफ–सफाई) एवं सिक्युरिटी गार्ड कार्य हेतु निविदा सूचना एवं शर्ते

सिकल सेल संस्थान छत्तीसगढ़ में चल एवं अचल संपत्ति की पूर्ण सुरक्षा एवं सफाई व्यवस्था हेतु एक वर्ष की अवधि के लिए ठेके पर देने हेतु अनुभवी सुरक्षा कम्पनियों से छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियमानुसार निविदाये आमंत्रित की जाती हैं।

निविदा 2 Envelope निविदा पद्धति के अंतर्गत आमंत्रित की जाती हैं–

i- टेक्नीकल बिड

ii- प्राइस बिड (**सफाई एवं सुरक्षा व्यवस्था हेतु पृथक–पृथक**)

टेक्नीकल बिड –

सभी दस्तावेज कंपनी/एजेंसी द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए। सभी दस्तावेज स्पष्ट एवं पठनीय होना चाहिए। अस्पष्ट एवं अपठनीय दस्तावेजों को अमान्य कर दिया जायेगा।

1. टेंडर फीस रु. 1000/– (अक्षरी– एक हजार रूपए मात्र) का डी.डी.।
2. धरोहर राशि रू. 50,000/– (पचास हजार रुपये मात्र) की एक वर्ष की अवधि की एफ. डी.आर. जो महानिदेशक, सिकल सेल संस्थान छत्तीसगढ़, रायपुर के नाम से देय हो ।
3. कंपनी/एजेंसी का नाम पूर्ण पता, दूरभाष, ई–मेल/फेक्स क्रमांक सहित। (फ्रूफ सहित–इलेट्रिकल बिल/टेलीफोन बिल)
4. कंपनी/एजेंसी के मालिक/भागीदारों का नाम पूर्ण पता, दूरभाष, ई–मेल/फेक्स क्रमांक सहित। (फ्रूफ सहित–इलेट्रिकल बिल/टेलीफोन बिल)
5. छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी ट्रेड लाइसेंस/गुमास्ता प्रमाण पत्र।
6. कंपनी/एजेंसी के मालिक का पेन कार्ड।
7. सुरक्षा कार्य हेतु छत्तीसगढ़ शासन के गृह विभाग द्वारा जारी PSARA (PRIVATE SECURITY AGENCY REGULATION ACT) REGISTRATION CERTIFICATE.
8. कंपनी/एजेंसी का विगत 3 वर्षो का सी. ए. द्वारा प्रदत्त टर्न ओव्हर।
9. कंपनी/एजेंसी का ई.पी.एफ का रजिस्ट्रेशन। गत वित्तीय वर्ष में जमा किए ई.पी.एफ के चालान की कापी।
10. कंपनी/एजेंसी का ईएसआईसी का रजिस्ट्रेशन सर्टीफिकेट । गत वित्तीय वर्ष में जमा किए ईएसआईसी के चालान की कापी।
11. छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टीफिकेट। गत वित्तीय वर्ष में जमा किए जीएसटी के चालान की कापी।
12. 100/– के स्टांप पेपर में शपथ पत्र (निर्धरित प्रोफार्मा में)।
13. शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय वृहद संस्थान में सुरक्षा कार्य का **दो वर्ष** का अनुभव एवं परफार्मेस सर्टीफिकेट।
14. आई.एस.ओ. सर्टिफिकेट।
15. **छ.ग. शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से सुरक्षा कार्य संबंधी प्रशिक्षण प्रमाण–पत्र।**
16. कार्यादेश जारी होने के एक माह के भीतर लेबर लाईसेंस जमा करना अनिवार्य होगा।

प्राइस बिड – सफाई एवं सुरक्षा व्यवस्था हेतु पृथक–पृथक निर्धारित प्रपत्र में।

06.5.22 6.5.22 6/5/22

<u>नियम व शर्तें :–</u>

1. **टेक्नीकल बिड में पात्र पाए जाने पर ही प्राइस बिड खोली जावेगी।**
2. **महानिदेशक द्वारा किसी भी निविदा को स्वीकृत करने अथवा समस्त निविदाओं को अपने विवेक से बिना निविदाकर्ताओं को कारण बताये निरस्त करने का अधिकार होगा ।**
3. निविदा स्वीकारोपरान्त कम्पनी को महानिदेशक, सिकल सेल संस्थान छत्तीसगढ़, रायपुर के साथ एक वर्ष का अनुबंध संपादित करना होगा।
4. सफाई एवं सुरक्षा ठेका स्वीकृति दिनांक से एक वर्ष अवधि के लिए होगा। जिसे नई निविदा के विलंब होने की स्थिति में आगामी आदेश तक बढ़ाई जा सकती है। उक्त अवधि तक निविदा की अनुबंध शर्तो के अनुसार कार्य करना होगा।
5. कम्पनी द्वारा संस्थान के अनुसार सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु समुचित संख्या में कर्मचारियों की व्यवस्था करना होगा, उक्त कार्य हेतु अनुमानित कर्मचारियों की संख्या लगभग 8 (आठ) सुरक्षा एवं 4 (चार) सफाई कर्मचारियों की आवश्यकता होगी, जिसे आवश्यकतानुसार घटाई/बढ़ाई जा सकेगी।
6. संस्थान प्रशासन द्वारा किसी भी समय एक माह की लिखित नोटिस द्वारा अनुबंध भंग किया जा सकेगा। अनुबंध भंग होने की स्थिति में कम्पनी को कारण जानने या किसी प्रकार की संभावित क्षति की पूर्ति हेतु दावा करने का अधिकार नहीं होगा।
7. कंपनी का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह अपने कर्मचारियों को वेतन भुगतान एवं नियमानुसार एलाउन्स देगी । यह भुगतान श्रमायुक्त/जिलाध्यक्ष द्वारा निधारित न्यूनतम वेतन से कम नहीं होगें ।
8. कम्पनी को निम्न अधिनियमों का अनिवार्य रूप से पालन करना होगाः–
   (क) मिनिमम वेजेंस एक्ट 1948.
   (ख) श्रम ठेका अधिनियम 1970.
   (ग) एम्पलाई प्राविडेंट फण्ड एक्ट 1952.
   (घ) डायरेक्टर जनरल रीसेटलमेन्ट में पंजीकृत होना चाहिए अथवा आई.एस.ओ. प्रमाणित हो।

   इसके अतिरिक्त किसी अधिनियम का यदि श्रम कानून के अन्तर्गत पालन अनिवार्य हो तो ऐसा करना होगा। तथा कम्पनी को श्रम विभाग से आवश्यक पंजीयन प्राप्त करना होगा।
9. कंपनी को कान्ट्रेक्ट लेबर रेगूलेशन एण्ड एबोलिशन एक्ट के अंतर्गत लाईसेंस प्राप्त करना अनिवार्य होगा एवं कान्ट्रेक्ट लेबर एक्ट/पी.एफ. एक्ट/न्यूनतम वेतन अधिनियम/बोनस एक्ट व लागू होने वाले अन्य समस्त श्रम नियमों को पालन करना अनिवार्य होगा ।
10. भुगतान शर्तें :– कंपनी/एजेंसी द्वारा संस्थान में सुरक्षा कार्य के लिये रखे गये कर्मचारियों के गत माह के लिये जमा किये EPF के चालान की, ESI अंशदान की जमा राशि रसीद की प्रमाणित छायाप्रति जमा करने पर ही चालू माह का भुगतान किया जावेगा।
11. निविदाकर्ता को नियमानुसार टेक्स संबंधित विभाग को जमा करना होगा एवं जमा किये टेक्स की सत्यापित रसीद को प्रतिमाह कार्यालय में जमा करना होगा।
12. सुरक्षा एजेंसी प्रतिमाह भुगतान देयक तीन प्रतियों में उपस्थिति पत्रक के साथ प्रस्तुत करेंगे, जो कि कार्य के उपरांत आगामी माह के प्रथम सप्ताह में प्राप्त हो जाना चाहिए।

6.5.22 06.5.22 6/5/22

13. सुरक्षा कर्मचारी बिन्दु पर अनुपस्थित पाये जाने पर कम्पनी को देय मासिक भुगतान राशि से अनुपातिक कटौती की जावेगी।
14. यदि किसी मामले में प्रशासन जांच करना या पुलिस में रिपोर्ट करना आवश्यक समझता है तो कम्पनी द्वारा इसकी समुचित व्यवस्था की जायेगी तथा प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत होने पर कम्पनी एवं उसके द्वारा रखे गये कर्मचारी को, जब तक प्रकरण का निराकरण नही हो जाता, तब तक साक्ष्य इत्यादि के लिये उपलब्ध रहना होगा।
15. **सुरक्षा कार्य हेतु कम्पनी द्वारा रखे गये सुरक्षा कर्मचारियों को कार्य संबंधी प्रशिक्षण छ.ग. शासन से मान्यता प्राप्त संस्था से होना आवश्यक होगा।**
16. दि संस्थान प्रशासन को आपात व्यवस्था (जैसे हड़ताल आदि) हेतु अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों की आवश्यकता होती है तो कम्पनी को अस्थाई रूप से अतिरिक्त सुरक्षा कर्मचारियों की व्यवस्था करना होगा। जिसका निर्धारित दर से अतिरिक्त भुगतान प्रशासन द्वारा किया जावेगा।
17. कार्य हेतु कम्पनी द्वारा रखे गये सुरक्षा कर्मचारियों को परिचय पत्र, वर्दी, मोजा, जूता, रेनकोट, बन्दूक, कारतूस, टार्च व सेल तथा अन्य सुरक्षा सामग्री इत्यादि आवश्यकतानुसार प्रदाय करने की जिम्मेदारी कम्पनी की होगी जिसका संस्थान द्वारा कोई व्यय नहीं किया जाएगा। वर्दी का रंग संस्थान प्रशासन से चर्चानुसार तय किया जावेगा।
18. कम्पनी द्वारा कार्य हेतु रखे गये कर्मचारियों का स्वास्थ्य प्रमाणपत्र, पुलिस सत्यापन प्रमाणपत्र एवं निर्धारित प्रपत्र में बायोडाटा उपलब्ध करवाने के उपरान्त ही राशि का भुगतान प्रारंभ किया जायेगा। यदि कोई कर्मचारी बदला जाता है तो कंपनी द्वारा नए कर्मचारी की जानकारी प्रस्तुत की जाएगी।
19. संस्थान प्रशासन को यह अधिकार होगा कि यदि कम्पनी द्वारा कार्य हेतु रखे गये किसी कर्मचारी को कम्पनी द्वारा श्रमिक कल्याणकारी योजनाओं के शर्तों का पालन न करने, पारिश्रमिक का भुगतान न करने अथवा अवैधानिक तरीके से पारिश्रमिक रोकने के कारण कोई हानि हुई हो तो कम्पनी को देय राशि से अथवा सुरक्षानिधि से उक्त राशि की कटौती कर संबंधित को भुगतान कर दें।
20. कम्पनी द्वारा उक्त कार्य का पूर्ण या आंशिक हस्तांतरण किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को नहीं किया जा सकेगा। अन्यथा की स्थिति में निविदा निरस्त की जाएगी।
21. संस्थान प्रशासन द्वारा कम्पनी का मासिक भुगतान युक्तियुक्त अवधि में कर दिया जायेगा। परंतु किसी कारणवश विलंब की स्थिति में कम्पनी उक्त विलंब हेतु ब्याज अथवा हर्जाना प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा।
22. संस्थान में किसी भी प्रकार की सामग्री की चोरी/गायब होने की स्थिति में उसके मुल्य की प्रतिपूर्ति देयक से कटौती कर की जावेगी।
23. कम्पनी अथवा उसके द्वारा सुरक्षा कार्य हेतु रखे गये कर्मचारियों की लापरवाही, अपराध अथवा अनुपस्थितियों से यदि शासन को कोई हानि होती है तो उक्त हानि की क्षतिपूर्ति कम्पनी द्वारा की जावेगी।
24. सफाई कर्मियों के लिए आवश्यक सभी प्रकार की सामग्री व सुविधा संबंधित फर्म द्वारा उपलब्ध कराई जावेगी, संस्थान द्वारा किसी भी प्रकार की सामग्री व सुविधा प्रदान नहीं की जावेगी।

6.5.22 06-5-22 6/5/22

25. कम्पनी को किसी शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय वृहत संस्थान में सुरक्षा संबंधी कार्य का कम से कम **दो वर्ष** का अनुभव होना अनिवार्य है। यह अनुभव संस्थान में किये जाने वाले कार्य के स्वरूप के बराबर होना चाहिये।
26. चयन की स्थिति में कम्पनी द्वारा जमा की गई एफडीआर की राशि को सुरक्षा निधि के रुप में रखी जावेगी जिसकी वापसी निविदा समाप्त होने के उपरान्त तीन पूर्ण कलेण्डर माह व्यतीत होने पर यदि वसूली लंबित हो तो वसूली की राशि काटकर की जावेगी।
27. किसी प्रकार के विवाद अथवा न्यायालय से प्रकरण लंबित होने की स्थिति में विवाद अथवा प्रकरण के निराकरण के उपरांत ही सुरक्षा निधि लौटाई जावेगी।
28. निविदा हेतु एक लिफाफा टेक्निकल बिड एवं एक पृथक लिफाफा फाईनेन्शियल बिड हेतु प्रस्तुत करें। टेक्निकल बिड लिफाफा में निर्धारित चेकलिस्ट अनुसार वांछित दस्तावेज भरकर लिफाफे के उपर टेक्निकल बिड लिखना होगा। फाईनेन्शियल बिड लिफाफा में निर्धारित प्रारूप में राशि भरकर प्रस्तुत करना होगा। एवं लिफाफा के उपर फाईनेन्शियल बिड लिखना अनिवार्य होगा। टेक्निकल बिड तथा फाईनेन्शियल बिड पृथक–पृथक लिफाफा में प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। टेक्निकल बिड में पात्र होने पर ही फाईनेन्शियल बिड खोली जाएगी।
29. निविदा प्रपत्र भरने के पूर्व सिकल सेल संस्थान छत्तीसगढ़, देवेन्द्र नगर चौक (ग्लोबल चौक), रायपुर स्थित परिसर के सभी कमरे, हॉल, टायलेट एवं बाथरूम, पार्किग स्थल, बगीचा एवं सम्पूर्ण कार्यालय भवन का भौतिक अवलोकन अवश्य कर ले। भौतिक अवलोकन पश्चात ही निर्धारित प्रारूप में वित्तीय दर प्रस्तुत करे।
30. सुबह 08.00 से 9.00 बजे तक सफाई का कार्य पूर्ण किया जाना होगा। तद्उपरांत अपरान्ह 04.00 बजे तक पुनः सफाई का कार्य सम्पादित करना होगा। इसके अलावा कार्यालयीन समय में आवश्यतानुसार साफ–सफाई सुनिश्चित करना होगा।
31. शौचालयों की सफाई में उच्चगुणवक्ता, लिक्विड सोप, फिनाईल गोलियां, ऑडोलिन, फ्रेशनर, टॉयलेट पेपर रोल के प्रयोग के साथ हारपिक जैसे लिक्विड के प्रयोग से किया जाना होगा, **शौचालयों की सफाई प्रति 3 घंटे के अंतराल में करनी होगी। समस्त सामग्री का स्टॉक भी निरंतर रखना होगा।**
32. डस्टबीन तथा थूकदानों की सफाई कर, कचरा हटाकर परिसर में नियत स्थान पर ले जाकर डालना होगा। कार्यालय परिसर से निकलने वाले कचरें, कूडा करकट, मलमा इत्यादि को निर्धारित क्षेत्र/कंटेनर में प्रतिदिन परिवहन की व्यवस्था ठेकेदार द्वारा स्वयं की जावेगी।
33. महिला शौचालयों की सफाई हेतु महिला सफाई कर्मी आवश्यक रूप से रखना होगा।
34. निविदा प्रपत्र सिकल सेल संस्थान छत्तीसगढ़, रायपुर की वेबसाइट www.scic.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। निविदा के नियम–शर्तो या अन्य किसी प्रकार का संशोधन होने पर समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी नहीं किया जाएगा। मात्र उक्त वेबसाइट में संशोधन की जानकारी दी जाएगी।
35. वैधानिक पंजीयन जैसे– ई.पी.एफ, ई.एस.आई.सी, लेबर एक्ट, पसरा, जीएसटी, पेन कार्ड आदि के अंतर्गत वैध पंजीयन होना अनिवार्य है। उक्त पंजीयन प्रमाण–पत्रों की सत्यापित प्रतियां टेक्निकल बिड लिफाफा में जमा करना होगा।
36. वित्तीय वर्ष 2020–21 की जीएसटी, ई.पी.एफ एवं ई.एस.आई.सी की चालान की प्रतियां जमा करना होगा।

6.5.22

06-5-22

6/5/22

37. **न्यूनतम दर वाले फर्म के साथ सेवा अनुबंध निष्पादित किया जाएगा। न्यूनतम वित्तीय दर दो या दो से अधिक फर्मो की समान होने की स्थिति में लाटरी द्वारा न्यूनतम दर का निर्धारण किया जावेगा।**
38. सफाई कार्य का निरीक्षण के दौरान एवं उपरांत दिये गये निर्देशों का पालन अनिवार्य होगा। उचित साफ–सफाई न होने पर अथवा किसी अधिकारी की शिकायत आने या निरीक्षण के दौरान किसी भी प्रकार की अनियमितता पाये जाने की स्थिति में रू. 500/– (पांच सौ मात्र) प्रतिदिन अर्थदण्ड किया जावेगा। जिसकी कटौती भुगतान किया जाने वाले देयक में से की जावेगी।
39. फर्मो को अब तक उनके द्वारा देय ई.पी.एफ, ई.एस.आई.सी अन्य वैधानिक देय राशियों का शासन की संबंधित खातों में जमा करने, कोई देय राशि बकाया न होने, एवं किसी भी विभाग/संस्था में ब्लैक लिस्टेड न होने के संबंध में निर्धारित प्रारूप में रू. 100/– मात्र के स्टाम्प पेपर में नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
40. निविदा लिफाफा पंजीकृत डाक से अथवा कार्यालयीन समय में निर्धारित तिथि तक कार्यालय के आवक–जावक शाखा में प्राप्त हो जाना चाहिए।
41. निविदा प्रस्तुत करने का आशय यह होगा कि निविदाकार द्वारा उपरोक्त बिन्दुओं का अवलोकन किया गया है एवं उक्त सभी बिन्दु निविदाकार फर्म को मान्य है।

महानिदेशक
सिकल सेल संस्थान छत्तीसगढ़
रायपुर

06-5-22

6/5/22

6.5.22

(रू. 100/– के स्टाम्प पेपर में नोटरी से सत्यापित शपथ–पत्र निविदा के टेक्निकल बिड में प्रस्तुत करना होगा।)

शपथ–पत्र

मैं...संस्था प्रमुख निवासी...सिकल सेल संस्थन छत्तीसगढ़, रायपुर द्वारा जारी निविदा प्रारूप, निर्धारित नियम एवं शर्त का पूर्ण रूप से अध्ययन करने के पश्चात ही उपरोक्त आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रहा/रही हूँ। हमारे फर्म द्वारा देय ई.पी.एफ, ई.एस.आई.सी अन्य वैधानिक देय राशियों का शासन की संबंधित खातों में जमा किया गया है, कोई देय राशि बकाया नहीं है। हमारे फर्म के पास जीवित पसरा लाइसेंस उपलब्ध है। उपरोक्त आवेदन में अंकित कोई भी जानकारी अपर्याप्त/अधूरी या फिर गलत पाई जाती है तो इसे अस्वीकार/निरस्त करने का अधिकार महानिदेशक, सिकल सेल संस्थान छत्तीसगढ़, रायपुर को होगा। इस बारे में मेरे या संस्था के किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी तरह की अपील या आपत्ति किसी क्षेत्र में नहीं की जायेगी। मुझे सिकल सेल संस्थान छत्तीसगढ़, रायपुर की उपरोक्त संबंधित सभी नियम एवं शर्ते स्वीकार है।

यह कि हमारी संस्था..किसी शासकीय और अर्द्ध शासकीय विभाग द्वारा ब्लेक लिस्टेट (काली सूची) नहीं है।

स्थान............................

दिनांक..........................

हस्ताक्षर

(पूरा नाम)

संस्था का नाम, पता व सील मोहर

6.5.22

6/5/22

6.5.22

Work Experience (केवल अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करें, कार्यादेश की प्रति न लगावें)

क.	संस्था का नाम, पूर्ण पता एवं फोन नं.	कब से	कब तक	सेवा की अवधि	अनुबंधित राशि	अनुबंध समाप्ति का कारण
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						

6/5/22

06.5.22

6.5.22

(9)

टेक्निकल बिड के साथ प्रस्तुत की जाने वाली दस्तावेजों की सूची

(नि.लि. क्रम में ही दस्तावेजों को टेक्निकल बिड के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, वांछित दस्तावेजों के अतिरिक्त अन्य कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करना है।)

SNo	Name of Documents	Yes/No	Page No.	Remark
01.	Tender Fee (1000/-)			
02.	EMD (Security Deposit) Rs. 50,000/-(FDR)			
03.	कंपनी/एजेंसी का नाम पूर्ण पता, दूरभाष, ई–मेल/फेक्स कमांक सहित। (फ्रूफ सहित–इलेट्रिकल बिल/टेलीफोन बिल)			
04.	कंपनी/एजेंसी के मालिक/भागीदारों का नाम पूर्ण पता, दूरभाष, ई–मेल/फेक्स कमांक सहित। (फ्रूफ सहित–इलेट्रिकल बिल/टेलीफोन बिल)			
05.	कंपनी/एजेंसी अथवा मालिक का पेन कार्ड।			
06.	छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी ट्रेड लाइसेंस/गुमास्ता प्रमाण पत्र।			
07.	छत्तीसगढ़ शासन के गृह विभाग द्वारा जारी PSARA (PRIVATE SECURITY AGENCY REGULATION ACT) REGISTRATION CERTIFICATE. (Not required for House Keeping work)			
08.	कंपनी/एजेंसी का विगत 3 वर्षो (2018–19, 2019–20, 2020–21) का सी. ए. द्वारा प्रदत्त टर्न ओव्हर प्रमाण–पत्र।			
09.	कंपनी/एजेंसी का ईपीएफ का रजिस्ट्रेशन सर्टीफिकेट कोड सहित। गत वित्तीय वर्ष में जमा किए ई.पी.एफ के माह मार्च के चालान की स्व सत्यापित छायाप्रति।			
10.	कंपनी/एजेंसी का ईएसआईसी का रजिस्ट्रेशन सर्टीफिकेट । गत वित्तीय वर्ष में जमा किए ईएसआईसी के माह मार्च के चालान की स्व सत्यापित छायाप्रति।			
11.	छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टीफिकेट। गत वित्तीय वर्ष में माह मार्च में जमा किए जीएसटी के चालान की स्व सत्यापित छायाप्रति।			
12.	100 रु. के स्टाम्प में शपथ पत्र (निर्धरित प्रपत्र में)।			
13.	शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय वृहद संस्थान में सुरक्षा कार्य का **दो वर्ष** का अनुभव एवं परफार्मेस सर्टीफिकेट (निर्धरित प्रपत्र के साथ संलग्न करें)।			
14.	आई.एस.ओ. सर्टिफिकेट।			
15-	सुरक्षा कार्य हेतु छ.ग. शासन की मान्यता प्राप्त संस्था से कर्मचारियों, का प्रशिक्षण प्रमाण–पत्र।			
16-	कार्यादेश जारी होने के एक माह के भीतर लेबर लाईसेंस जमा करना अनिवार्य होगा।			

6.5.22 06.5.22 6/5/22

Price Bid For Security (per person, per month basis) with all expenses -

Name of Item/Post	Minimum wages (As per applicable)	EPF	ESIC	Other Charges	TOTAL
सिक्योरिटी गार्ड (Semi Skilled)					
सिक्योरिटी सुपरवाईजर (Skilled)					

टीप–

1. कांट–छांट एवं ओवर राईटिंग होने पर निविदा अमान्य कर दी जावेगी।
2. शासन के नियमानुसार जीएसटी देय होगी।
3. Other Charges में शून्य राशि दर्शाने पर निविदा अमान्य कर दी जावेगी, Other Charges की राशि पूर्णांक में दर्शाया जावे।
4. EPF, ESIC राशि की गणना रु. में दशमलव के दो अंकों तक ही ली जावेगी।
5. राशि को प्रतिशत में अंकित न करें।
6. **छ.ग. शासन के नियमानुसार देय Minimum wages, EPF,ESIC तथा फर्म द्वारा निर्धारित Other Charges के योग के आधार पर ही न्यूनतम दर का निर्धारण किया जावेगा ।**

Price Bid For House Keeping (per person, per month basis) with all expenses -

Name of Item/Post	Minimum wages (As per applicable)	EPF	ESIC	Other Charges	TOTAL
सफाई कर्मी (Unskilled)					

टीप–

1. कांट–छांट एवं ओवर राईटिंग होने पर निविदा अमान्य कर दी जावेगी।
2. शासन के नियमानुसार जीएसटी देय होगी।
3. Other Charges में सफाई कर्मियों के कार्य के लिए आवश्यक सभी प्रकार की सामग्री सहित दर प्रस्तावित करें। Other Charges में शून्य राशि दर्शाने पर निविदा अमान्य कर दी जावेगी, Other Charges में राशि पूर्णांक में दर्शाया जावे।
4. EPF, ESIC राशि की गणना रु. में दशमलव के दो अंकों तक ही ली जावेगी।
5. राशि को प्रतिशत में अंकित न करें।
6. **छ.ग. शासन के नियमानुसार देय Minimum wages, EPF,ESIC तथा फर्म द्वारा निर्धारित Other Charges के योग के आधार पर ही न्यूनतम दर का निर्धारण किया जावेगा ।**

6.5.22 6.5.22 6/5/22

सिकल सेल संस्थान छत्तीसगढ़, रायपुर कार्यालय की हाउस कीपिंग (साफ–सफाई) एवं सिक्युरिटी गार्ड हेतु

सिकल सेल संस्थान छत्तीसगढ़, देवेन्द्र नगर चौक (ग्लोबल चौक), रेलवे स्टेशन रोड रायपुर (पक्ष क्रमांक 01) एवं मेसर्स..(पक्ष क्रमांक 02) द्वारा सिकल सेल संस्थान छत्तीसगढ़, रायपुर परिसर की सिक्युरिटी गार्ड एवं हाउसकीपिंग कार्य (साफ–सफाई) हेतु दिनांक / /2022 से दिनांक / /2023 तक के लिए दोनों पक्षों की सहमति से निम्नलिखित शर्तो के साथ अनुबंध किया जाता है:–

1. यह कि सिकल सेल संस्थान छत्तीसगढ़, रायपुर (पक्ष क्रमांक 01) के कार्यालय भवन एवं परिसर की हाउसकीपिंग (साफ–सफाई) एवं सिक्युरिटी गार्ड का कार्य मेसर्स............(पक्ष क्रमांक 02) द्वारा निविदा क्रमांक.............दिनांक.................के तहत किया जाएगा।
2. यह कि कर्मचारी की सुरक्षा की जिम्मेदारी पक्ष क्रमांक 02 की होगी। पक्ष क्रमांक 02 को सुरक्षा का समुचित इंतजाम करना होगा।
3. यह कि पक्ष क्रमांक 02 को हाउसकींपिंग (साफ–सफाई) एवं सिक्युरिटी की संपूर्ण व्यवस्था सुनिश्चित करना होगा। पक्ष क्रमांक 02 द्वारा उपलब्ध कराए गए कर्मचारी/सुरक्षा गार्ड के किसी कृत्य के कारण काई हानि अथवा कार्यालय के किसी सामग्री/उपकरण की चोरी होने पर उसकी भरपाई चयनित फर्म को करना होगा।
4. यह कि पक्ष क्रमांक 02 को छत्तीसगढ़ शासन एवं केन्द्र सरकार द्वारा समस्त प्रचलित एवं समय–समय पर जारी नियमों, निर्देशों, ओदशों और अधिनियमों का पूर्ण पालन करना होगा जिसमें प्रचलित लेबर एक्ट, कर्मचारी भविष्य निधि, आयकर अधिनियम, दुर्घटना बीमा नियम सहित अन्य संबंधित समस्त नियमों का पालन एवं उसके अनुरूप अपने कर्मचारियों को भुगतान करना होगा। कर्मचारियों के ईपीएफ, ईएसआईसी, जीएसटी (पंजीयन हो तो) आदि वैधानिक देय राशि का भुगतान नियत समय के अंदर करना अनिवार्य होगा। भुगतान पश्चात चालान की प्रतियां प्रतिमाह सिकल सेल संस्थान छत्तीसगढ़, रायपुर कार्यालय में उपलब्ध कराना होगा। उसके बाद ही आगामी माह के देयकों का भुगतान किया जाएगा।
5. यह कि पक्ष क्रमांक 02 को हाउसकींपिंग (साफ–सफाई) एवं सिक्युरिटी कार्य में लगाये जाने वाले समस्त कर्मचारियों की फोटो सहित नाम, वर्तमान एवं स्थाई पता, संपर्क नंबर इत्यादि एवं चरित्र सत्यापन संबंधी प्रमाण–पत्र अनिवार्य रूप से पक्ष क्रमांक 01 के कार्यालय में जमा करना होगा। पुलिस वेरिफिकेशन, चरित्र सत्यापन आदि के उत्तरदायी चयनित फर्म/समुह की होगी।
6. यह कि कार्य संतोषजनक पाए जाने पर सेवा अनुबंध अवधि में वृद्धि करने का अधिकार पक्ष क्रमांक 01 के पास सुरक्षित रहेगा।
7. यह कि पक्ष क्रमांक 02 अनुबंध अवधि तक कार्य नहीं छोड़ सकेगा और यदि इस बीच पक्ष क्रमांक 02 द्वारा बीच में कार्य छोड़ा जाता है तो पक्ष क्रमांक 02 द्वारा जमा अमानत राशि को राजसात कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करने का अधिकार पक्ष क्रमांक 01 के पास सुरक्षित होगा।
8. यह कि उपरोक्त शर्तो के अनुसार पक्ष क्रमांक 02 का कार्य संतोषजनक न होने पर पक्ष क्रमांक 01 को अनुबंध समाप्त कर धरोहर राशि राजसात करने का अधिकार होगा।
9. यह कि पक्ष क्रमांक 02 को कर्मचारी भविष्य निधि, ईएसआईसी, श्रम नियम, जीएसटी अधिनियम एवं अन्य वैधानिक प्रावधानों का पालन करना होगा।

6.5.22 06.5.22 6/5/22

10. यह कि पक्ष क्रमांक 02 निविदा के समस्त नियम एवं शर्तों का पालन का पूर्णतः पालन करेगा।
11. यह कि व्यवहार में किसी प्रकार की विवाद की स्थिति निर्मित होने पर महानिदेशक, सिकल सेल संस्थान छत्तीसगढ़ का निर्णय सर्वमान्य होगा।

पक्ष क्रमांक 01
हस्ताक्षर
नाम एवं पदनाम
गवाह – 01.
02.

पक्ष क्रमांक 02
हस्ताक्षर
नाम एवं पदनाम
गवाह – 01.
02.